भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 406
दिनांक 02 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

ओपन और सेमी-ओपन जेलें

†406. डॉ. थोल तिरूमावलवनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ओपन (खुली) तथा सेमी-ओपन (आधी खुली) जेलों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का ओपन/सेमी-ओपन जेलों की संख्या बढ़ाने का निर्देश/प्रोत्साहन देने का कोई नीतिगत प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। दिनांक 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 101 खुली/अर्ध खुली जेलें थीं।

(ख) और (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अनुसार 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति' "राज्य सूची" का विषय है। कारागारों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी है, जो अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में खुली/अर्ध खुली जेलों की स्थापना के लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। हालांकि, गृह मंत्रालय ने एक मॉडल जेल मैनुअल 2016 तैयार किया था और मई, 2016 में इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया था। मॉडल जेल मैनुअल 2016 में "खुली कारागारों" पर एक विशिष्ट अध्याय है, जिसमें

खुली जेलों की स्थापना एवं प्रशासन के बारे में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में एक "आदर्श कारागार और सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम" भी तैयार किया था और इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया था ताकि वे कारागार और कैदियों के प्रबंधन से संबंधित मार्गदर्शन का उपयोग कर सकें। आदर्श अधिनियम में खुले और अर्ध-खुले सुधार संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का प्रावधान है।

*****